न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी : बनाम प्रतिवादीगण :

अणदाराम पुत्र खेमाराम
जाति जाट निवासी धोलिया

1— डालूराम पुत्र खेमाराम
जाति जाट निवासी धोलिया
2— राज. सरकार तहसीलदार
परबतसर

दावा बाबत :— घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती
उपस्थित :— श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता वादी
:— श्री मुकेश , अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
:— श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :— 151 /2021 निर्णय दिनांक :— 29—11—2021

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम धोलिया के खाता संख्या 120 पुराना 94 खसरा नम्बर 170 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 172 रकबा 2.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 253 रकबा 4.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 7.5800 हैक्टर कुल रकबा 16.9200 हैक्टर व खाता संख्या 36 पुराना 43 खसरा नम्बर 133 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल रकबा 2.5600 हैक्टर स्थित हैं उक्त कृषि भूमि खाता संख्या 120 में वादी का 1/8 हिस्सा जरिये विरासत व खाता संख्या 36 में 1/2 हिस्सा जरिये वसीयत दिनांक 10—1—2002 के प्राप्त हुआ तथा जिसमे वादी का नाम गोदूराम व गोदाराम पुत्र खेमाराम दर्ज हो गया जबकि वादी के अपने समस्त दस्तावेजात में अपना नाम अणदाराम पुत्र खेमाराम दर्ज हैं इसलिये वादी को उपरोक्त आराजियात का उपयोग उपभोग करने में भारी समस्या हो रही है वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजियात में वादी का नाम गोदूराम व गोदाराम पुत्र खेमाराम के स्थान पर अणदाराम पुत्र खेमाराम का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में घोषणा करवाते हुये रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही है।
2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से एडवोकेट मुकेश ने इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा वादी के वाद पत्र का समर्थन किया तथा वाद में चाही गई इस्तदुआ के अनुसार खातेदारी घोषणा कर रिकर्ड दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति एवं एतराज नही हैं, प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार ने जवाब दावा पेश किया ओर साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

3. वादी के वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार ग्राम धोलिया के खाता संख्या 120 पुराना 94 खसरा नम्बर 170 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 172 रकबा 2.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 253 रकबा 4.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 7.5800 हैक्टर कुल रकबा 16.9200 हैक्टर व खाता संख्या 36 पुराना 43 खसरा नम्बर 133 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल रकबा 2.5600 हैक्टर में गोदूराम पुत्र खेमाराम व गोदाराम पुत्र खेमाराम 1/8 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रस्तुत जमाबन्दियो के अनुसार वादी का नाम गोदूराम व गोदाराम पुत्र खेमाराम दर्ज हैं जिससे वादी का कथन है कि वादी के समस्त दस्तावेजात मे नाम गोदूराम व गोदाराम पुत्र खेमाराम के स्थान पर अणदाराम पुत्र खेमाराम हैं तथा वादी ही उक्त आराजियात पर काबिज है लेकिन वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी आराजियात का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है तथा वादी ने राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, की फोटो प्रति आदि अन्य सभी दस्तावेजो में वादी का नाम अणदाराम पुत्र खेमाराम दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड के सभी सहकाशतकारो प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इसके समर्थन में इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है तथा वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं तथा गोदूराम व गोदाराम एवम् अणदाराम एक ही व्यक्ति हैं जिससे वादी का वाद पत्र सिद्व होता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धोलिया के खाता संख्या 120 पुराना 94 खसरा नम्बर 170 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 172 रकबा 2.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 253 रकबा 4.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 7.5800 हैक्टर कुल रकबा 16.9200 हैक्टर व खाता संख्या 36 पुराना 43 खसरा नम्बर 133 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल रकबा 2.5600 हैक्टर भूमि में दर्ज गोदूराम पुत्र खेमाराम व गोदाराम पुत्र खेमाराम के स्थान पर अणदाराम पुत्र खेमाराम घोषित किया जाता हैं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जाता है डिक्री पर्चा ज़ारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प राबडियाद में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (रसद) परबतसर (नागौर)

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)